संख्या- /X-2-2012-12(39)/2006

229

प्रेषक,

सुशांत पटनायक
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक
उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2 **देहरादून** **दिनांक 24 अगस्त, 2012**

विषयः- अनुदान सं0-27 के आयोजनागत पक्ष की केन्द्र पुरोनिधानित योजना "इन्टींफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट" के पूँजीगत पक्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपर प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0-नि0-43/3-6(आई0एफ0एम0एस0) दिनांक 09 जुलाई, 2012 एवं भारत सरकार के पत्र सं0-3-8/2007-FPD तथा Sanction Order No.6/2012-13/FPD दिनांक 03 जुलाई, 2012 से अवमुक्त केन्द्रांश ₹107.54 लाख एवं पुनः भारत सरकार के पत्र सं0-3-8/2007-FPD तथा Sanction Order No.6/2012-13/FPD दिनांक 03 जुलाई, 2012 से अवमुक्त केन्द्रांश ₹59.84 लाख के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अन्तर्गत संचालित ''इन्टींफिकेशन आफ फारेस्ट मैनेजमेंट (90प्रतिशत के0पु0)'' योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु उपरोक्तानुसार अवमुक्त कुल केन्द्रांश ₹167.38 लाख के साथ राज्यांश ₹16.738 लाख को जोड़ते हुए ₹184.118 लाख के सापेक्ष योजना के पूँजीगत पक्ष में **₹48,00,000/- (₹ अडतालीस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति से भारत सरकार के पत्र सं0-3-8/2007-FPD दिनांक 03 जुलाई, 2012 द्वारा दिये गये दिशानिर्देशानुसार व्यय किया जायेगा एवं उक्त पत्र द्वारा "Intesification of Forest Management" हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्ययोजना एवं निर्धारित भौतिक लक्ष्यों के अनुसार ही कार्यों का कियान्वयन किया जायेगा.

(2) उक्त धनराशि वर्णित योजना हेतु सक्षम स्तर से अनुमोदित कार्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों/मदों पर ही व्यय किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग अन्य कार्यों के कियान्वयन के लिए न किया जाय.

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाये तथा विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाय. शासन द्वारा वांछित सूचनायें एवं विवरण निर्धारित प्रारूप व समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1(लेखा नियम), वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-7, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2008, तथा समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा जारी वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(4) आहरण वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण बी0एम0-17 पर प्रत्येक माह प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा.

(5) बी0एम0-13 पर नियमित रूप से प्रशासकीय विभाग एवं वित्त विभाग को विलम्बतम 05 तारिख तक पूर्ण माह की सूचना उपलब्ध कराई जाय.

(6) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय को फेजिंग (त्रैमास के आधार पर) प्रशासनिक विभाग एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक एवं अनिवार्य होगा, जिससे की राज्य स्तर पर कैश-फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो.

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चि किया जाय.

क्रमशः.....2

(8) व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है. अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के समबन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.

(9) योजनाओं की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहां आवश्यकता हो सक्षम अधिकारी/शासन की पूर्व सहमति/स्वीकृति ली जाय.

(10) धनराशि का आहरण/व्यय यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.

(11) मानक मदों के आहरण प्रणाली के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-ब-06/X-2-2010-12(11)/2009 दिनांक 31 मार्च, 2010 द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी.

(12) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृतियों से कराये जाने वाले कार्यों की सूचना यथा आवश्यकतानुसार सुराज, भ्रष्टाचार उन्नमूलन एवं जनसेवा विभाग, उत्तराखण्ड शासन के के शासनादेश सं0-1638/XXX-1-12(25)/2011 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011 द्वारा अपेक्षित राज्य सरकार की वैब साइट www.ua.nic.in तथा विभाग की वैब साइट यदि कोई हो पर अनिवार्य रूप से प्रकाशि की जायेगी और उन्हें समय-समय पर अध्यावधिक किया जायेगा.

(13) निर्गत की जा रही वित्तीय स्वीकृति का आवंटन पत्र कम्प्यूटर के माध्यम से जनरेट किया गया है एवं इसका Allotment Id S1208270211 है। आप भी अपने स्तर से अधिनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को कम्प्यूटर के माध्यम से online बजट आवंटन करना सुनिश्चित करेंगे.

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के स्वीकृत आय-व्ययक के सापेक्ष अनुदान सं0-27 के लेखाशीर्षक 4406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिक 800-अन्य व्यय 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें 0102-''इन्टीफिकेशन आफ फॉरेस्ट मैनेजमैंट'' हेतु निम्न तालिका में अंकित विवरणानुसार संगत मदों के नामें डाला जायेगा। इस प्रयोजन हेतु ऑन लाइन बजट आवंटन की हार्ड कापी भी संलग्न है:-

(धनराशि ₹हजार में)

क0सं0	मानक मद	आय-व्ययक प्रावधान	वर्तमान वित्तीय स्वीकृति
1.	24-वृहत निर्माण कार्य	11100	4800
		11100	4800

(वर्तमान स्वीकृति ₹अड़तालीस लाख मात्र)

3. ये आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-321/XXVII(1)/2012, दिनांक 19 जून, 2012 में वर्णित प्राविधान/दिशा-निर्देश के कम में निर्गत किये जा रहे हैं.

संलग्नक-यथोपरि.

भवदीय

(सुशांत पटनायक)
अपर सचिव